भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 243

(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में असमानुपातिक लागतसाझेदारी

243. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजनावार और राज्यवार क्रमशः कुल कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत किसी राज्य में राज्य सरकार द्वारा किया गया वास्तविक व्यय केंद्र सरकार के हिस्से से अधिक था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लागत -साझेदारी सूत्र को संशोधित करने या उन योजनाओं में अपना हिस्सा बढ़ाने का विचार रखती है जहाँ कार्यान्वयन का भार असमानुपातिक रूप से राज्यों पर पड़ा है और यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को वर्तमान लागत -साझेदारी व्यवस्था के कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव के संबंध में राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ , तो इन अभ्यावेदनों की प्रकृति क्या है और इनके प्रत्युत्तर में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मसानी)

(क): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), लाभार्थियों की श्रेणी पर विचार किए बिना ग्रामीण या शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले हमारे समाज के सबसे कमजोर व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत , गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के अंतर्गत आने वाले और एनएसएपी दिशानिर्देशों में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है , जो पेंशन के रूप में होती है, जिसकी राशि 200/- रुपये प्रतिमाह से 500/- रुपये प्रतिमाह तक होती है और यदि ऐसे परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाती है, तो शोक संतप्त परिवार को 20,000/- रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है , ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के आवास बनाने के लिए सहायता प्रदान की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक पीएमएवाई-जी को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है ताकि 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों का निर्माण किया जा सके। दिनांक 28.11.2025 तक, इस मंत्रालय द्वारा कुल 4.14 करोड़ आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3.86 करोड़ आवास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और 2.91 करोड़ आवास पूरे किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नलों के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जल जीवन मिशन , एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम होने के कारण, नीति आयोग, शासी परिषद सचिवालय के दिनांक 17.08.2016 के का.ज्ञा. द्वारा अधिसूचित , केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित उस निधि प्रावधान की पद्धति का पालन करता है जो मुख्यमंत्री उप-समूह की सिफारिशों पर आधारित था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी और एनएसएपी अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के तहत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) से (घ): वर्तमान में, एनएसएपी 100% केंद्र वित्तपोषित, केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन संविधान की समवर्ती सूची (सप्तम अनुसूची) की मद 23 और 24 के रूप में शामिल हैं , इसलिए केंद्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों की जिम्मेदारी है कि वे देश के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र को लागू करने में सम न्वय से काम करें। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम से कम केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के बराबर राशि के रूप में अतिरिक्त राशि देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी के लिए प्रतिमाह 50 रुपये से 5700 रुपये तक की अतिरिक्त राशि जोड़ी जा रही है।

पीएमएवाई-जी के तहत , मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों में (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित) 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र और राज्य के बीच वित्तपोषण की पद्धति मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार है , जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों [उत्तराखंड , हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)] के लिए 90:10 है, जबकि शेष राज्यों के लिए 60:40 है और विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% वित्त पोषण केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है। पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन ढांचे के अनुसार , शौचालय निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) , स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) या किसी अन्य विशिष्ट स्रोत से अलग से 12,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और मनरेगा योजना के साथ अभिसरण के माध्यम से 90/95 दिन की अकुशल मजदूरी प्रदान की जाती है। इसके अलावा , हालांकि यह अनिवार्य नहीं है , तथापि कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवासों के

निर्माण के लिए लाभार्थियों से योगदान के अलावा अपने संसाधनों से अतिरिक्त राशि प्रदान कर रहे हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण की पद्धति 100% है, यह उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 है और शेष राज्यों के लिए 50:50 है। इसके अलावा , इस मिशन के तहत सहायता और जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमएस) कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण की पद्धति संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%, हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 है।

इसके अलावा, चूँकि जल जीवन मिशन पूरे भारत में लागू होने वाला कार्यक्रम है , अत: इसके प्रारंभिक चरण में अगस्त 2019 में, जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध निधियों के संवितरण में देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद कुछ मापदंडों को उचित महत्व दिया गया था जैसे कि मरूस्थलीय, सूखा प्रभावित और शुष्क परिस्थितियाँ, जल की कमी, ग्रामीण जनसंख्या और भूमिगत जल में रासायनिक संदूषण से प्रभावित लोग आदि।

जेजेएम के शुभारंभ के समय, सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल अनुमानित व्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये में से 2.08 लाख करोड़ रुपये (58%) केंद्रीय सहायता के रूप में अनुमोदित किए। अनुमोदित केंद्रीय व्यय 2024-25 तक लगभग पूरी तरह से उपयोग हो चुका है। अब तक की गई प्रगति और जारी कार्यों को ध्यान में रखते हुए , माननीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणाओं 2025-26 के माध्यम से बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। तदनुसार, दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन को जारी रखने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

अनुबंध

"केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में असंगत लागत साझाकरण" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 243 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध- I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21 से 2024-25 के दौरान				
		आईजीएनओएपीएस		आईजीएनडीपीएस		पीएमएवाई-जी
		आवंटन (करोड़ में)	जारी निधि (करोड़ में)	आवंटन (करोड़ में)	जारी निधि (करोड़ में)	जारी केंद्रीय अंश (करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	890.99	1005.8	36.7	45.49	425.75
2	बिहार	4204.35	5296.35	190.24	224.39	19572.62
3	छत्तीसगढ़	901.86	902.66	48.22	59.39	19572.62
4	गोवा	15.6	0	0.69	0	7704.00
5	गुजरात	860.18	887.47	37.59	33.82	0.00
6	हरियाणा	367.21	215.35	20.63	10.45	3653.56
7	हिमाचल प्रदेश	130.61	151.66	2.49	1.19	191.02
8	झारखंड	1336.46	1238.38	42.37	41.25	6835.28
9	कर्नाटक	1368.87	1207.97	66.73	64.73	632.56
10	केरल	649.84	621.26	69.1	45.05	138.42
11	मध्य प्रदेश	2229.09	2722.29	151.18	183.84	19969.61
12	महाराष्ट्र	1669.56	1165.89	48.63	0	10001.77
13	ओडिशा	1975.95	1892.06	136.11	165.21	10692.78
14	पंजाब	246.11	71.67	9.42	4.3	411.62
15	राजस्थान	1186.23	1372.52	59.92	48.97	5979.04
16	तमिलनाडु	1764.96	1938.69	104.19	107.54	3207.26
17	तेलंगाना	639.78	542.03	28.27	24.55	0.00
18	उत्तर प्रदेश	6425.92	6676.28	177.33	94.21	16086.31
19	उत्तराखंड	326.31	428.51	14.13	5.29	685.72
20	पश्चिम बंगाल	1979.81	2016.99	104.9	100.56	9498.38
21	अरुणाचल प्रदेश	57.83	8.34	2.97	0.2	376.04
22	असम	1377.8	1232.9	76.19	51.58	23686.98
23	मणिपुर	547.94	84.7	2.96	1.71	653.12

24	मेघालय	167.93	80.3	3.62	2.14	1978.91
25	मिजोरम	101.03	44.6	1.62	1.02	258.50
26	नागालैंड	104.43	93.95	2.86	1.74	476.38
27	सिक्किम	59.32	15.21	1.95	0.46	3.12
28	त्रिपुरा	299.83	140.75	6.33	3	4228.05
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	94.59	0.79	0.1	0.05	22.33
30	चंडीगढ़	2.67	0	0.09	0	ना
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	6.07	0	0.24	0	16.12
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	180.38	150.69	10.01	6.54	ना
33	जम्मू और कश्मीर	171.99	181.95	4.5	4.23	3474.43
34	लद्दाख	5.51	8.59	0.18	0.34	21.99
35	लक्षद्वीप	0.3	0	0.05	0	0.00
36	पुदुचेरी	32.17	12.4	2.3	0.09	0.00
	कुल	**32379.4**	**32409**	**1464.74**	**1333.32**	**151933.95***

* पीएम-जनमन सहित

इस दौरान तेलंगाना राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन नहीं कर रहे थे।

अनुबंध- II

"केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में असंगत लागत साझाकरण" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 243 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जेजेएम: वित्तीय प्रगति 2019-20

रुपये करोड़ में

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय अंश					राज्य व्यय
		प्रारंभिक जमा राशि	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	दर्शायी गई उपयोग निधि	
1	अंडमान और	-	1.78	0.50	0.50	एन.आर.	-

	निकोबार द्वीप समूह						
2	आंध्र प्रदेश	25.74	372.64	372.64	398.38	121.62	60.59
3	अरुणाचल प्रदेश	6.22	132.55	177.47	183.69	127.68	13.05
4	असम	359.35	694.95	442.36	801.71	358.87	29.01
5	बिहार	313.16	787.31	417.35	730.51	473.33	150.34
6	छत्तीसगढ़	31.58	208.04	65.82	97.40	39.23	38.52
7	गोवा	-	7.57	3.08	3.08	3.08	6.17
8	गुजरात	-	390.31	390.31	390.31	384.61	394.74
9	हरियाणा	10.13	149.95	149.95	160.08	69.29	73.80
10	हिमाचल प्रदेश	-	148.67	205.83	205.83	197.41	15.46
11	जम्मू और कश्मीर	27.14	322.03	322.03	349.17	200.25	24.01
12	झारखंड	75.79	267.69	291.19	366.98	114.89	120.78
13	कर्नाटक	26.61	546.06	546.06	572.67	491.01	298.70
14	केरल	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
15	लद्दाख	8.10	166.65	67.86	75.96	एन.आर.	0.61
16	मध्य प्रदेश	1.26	571.60	571.60	572.86	326.65	288.75
17	महाराष्ट्र	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	431.79
18	मणिपुर	-	67.69	91.17	91.17	28.20	6.60
19	मेघालय	0.80	86.02	43.01	43.81	26.35	0.77
20	मिजोरम	0.14	39.87	68.05	68.19	37.41	1.81
21	नागालैंड	-	56.49	56.49	56.49	23.54	4.67
22	ओडिशा	0.78	364.74	364.74	365.52	260.46	241.12
23	पुदुचेरी	1.27	2.50	एन.डी.	1.27	0.97	एन.आर.
24	पंजाब	102.91	227.46	227.46	330.37	73.27	78.20
25	राजस्थान	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	702.35
26	सिक्किम	0.84	15.41	26.15	26.99	14.71	1.48
27	तमिलनाडु	1.49	373.87	373.10	374.59	114.58	99.14
28	तेलंगाना	4.48	259.14	105.52	110.00	88.33	72.89
29	त्रिपुरा	48.94	107.64	145.37	194.31	59.45	6.48
30	उत्तर प्रदेश	58.33	1,206.28	1,513.14	1,571.47	638.22	379.17
31	उत्तराखंड	6.12	170.53	170.53	176.65	110.04	23.02
32	पश्चिम बंगाल	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609.00	469.54
कुल		**2,436.37**	**11,139.21**	**9,951.81**	**12,388.18**	**5,983.49**	**4,090.79**

दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव और लक्षद्वीप , निधि का लाभ नहीं उठाते हैं **एन.डी.: निधि आरहित नहीं की गई , एनआर:** नहीं दर्शाया गया **स्रोत:** जेजेएम-आईएमआईएस

जेजेएम: वित्तीय प्रगति 2020-21

रुपये करोड़ में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय अंश					राज्य व्यय
		प्रारंभिक जमा राशि	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	दर्शायी गई उपयोग निधि	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.50	2.93	1.46	1.96	1.45	-
2	आंध्र प्रदेश	276.76	790.48	297.62	574.38	419.30	181.31
3	अरुणाचल प्रदेश	56.02	254.85	344.85	400.87	392.43	47.15
4	असम	452.45	1,608.51	551.77	1,004.22	880.44	91.08
5	बिहार	257.18	1,839.16	353.60	610.78	551.82	374.42
6	छत्तीसगढ़	58.17	445.52	334.14	392.31	223.77	221.04
7	गोवा	-	12.41	6.20	6.20	2.99	13.49
8	गुजरात	5.70	883.08	983.08	988.78	838.50	883.43
9	हरियाणा	90.80	289.52	72.38	163.18	130.67	120.09
10	हिमाचल प्रदेश	8.42	326.20	547.48	555.90	329.01	42.25
11	जम्मू और कश्मीर	148.92	681.77	53.72	202.64	88.69	5.17
12	झारखंड	268.08	572.24	143.06	411.14	286.62	177.73
13	कर्नाटक	81.65	1,189.40	446.36	528.01	349.62	428.26
14	केरल	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
15	लद्दाख	75.96	352.09	एन.डी.	75.96	9.43	एन.आर.
16	मध्य प्रदेश	246.21	1,280.13	960.09	1,206.30	1,014.70	876.84
17	महाराष्ट्र	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.56
18	मणिपुर	62.96	131.80	141.80	204.76	189.14	18.52
19	मेघालय	17.46	174.92	184.92	202.38	188.30	20.44
20	मिजोरम	30.77	79.30	104.30	135.07	107.90	10.13
21	नागालैंड	34.90	114.09	85.57	120.47	91.95	10.00
22	ओडिशा	105.07	812.15	609.11	714.18	686.41	671.98
23	पुदुचेरी	0.30	4.64	1.06	1.36	0.20	1.00
24	पंजाब	257.10	362.79	एन.डी.	257.10	146.74	152.77

25	राजस्थान	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	815.90
26	सिक्किम	12.30	31.36	39.36	51.66	43.43	3.75
27	तमिलनाडु	264.09	921.99	690.36	954.45	576.87	399.57
28	तेलंगाना	31.10	412.19	82.71	113.81	61.17	133.98
29	त्रिपुरा	136.46	156.61	117.46	253.92	195.00	22.26
30	उत्तर प्रदेश	933.25	2,570.94	1,295.47	2,228.72	1,774.65	885.89
31	उत्तराखंड	66.60	362.58	271.93	338.53	227.32	20.02
32	पश्चिम बंगाल	1,146.58	1,614.18	807.08	1,953.66	1,196.07	641.17
कुल		**6,447.36**	**23,033.02**	**10,917.86**	**17,365.22**	**12,544.51**	**7,905.45**

दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव और लक्षद्वीप , निधि का लाभ नहीं उठाते हैं **एन.डी.:** निधि आरहित नहीं की गई **एनआर:** नहीं दर्शाया गया **स्रोत:** जेजेएम-आईएमआईएस

जेजेएम: वित्तीय प्रगति 2021-22

रुपये करोड़ में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय अंश					राज्य व्यय
		प्रारंभिक जमा राशि	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	दर्शायी गई उपयोग निधि	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.52	8.26	2.06	2.58	1.95	-
2	आंध्र प्रदेश	155.09	3,182.88	791.06	946.15	234.02	233.84
3	अरुणाचल प्रदेश	8.43	1,013.53	1,555.53	1,563.96	1,113.37	117.99
4	असम	123.78	5,601.16	4,200.87	4,324.65	2,505.42	312.89
5	बिहार	58.95	6,608.25	एन.डी.	58.95	4.00	336.79
6	छत्तीसगढ़	168.54	1,908.96	477.24	645.78	498.69	488.63
7	गोवा	3.21	45.53	22.77	25.98	14.03	17.98
8	गुजरात	150.28	3,410.61	2,557.96	2,708.24	2,124.85	2,226.25
9	हरियाणा	32.51	1,119.95	559.98	592.49	433.78	430.31
10	हिमाचल प्रदेश	226.89	1,262.78	2,012.78	2,239.67	1,420.78	149.71
11	जम्मू और कश्मीर	113.96	2,747.17	604.18	718.14	112.43	8.31
12	झारखंड	124.51	2,479.88	512.22	636.73	437.21	510.99
13	कर्नाटक	178.39	5,008.80	2,504.40	2,682.79	1,418.68	1,567.62

14	केरल	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
15	लद्दाख	66.52	1,429.96	340.68	407.20	144.96	एन.आर.
16	मध्य प्रदेश	191.61	5,116.79	3,837.59	4,029.20	2,262.78	2,479.33
17	महाराष्ट्र	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
18	मणिपुर	15.62	481.19	601.19	616.81	474.78	52.80
19	मेघालय	14.18	678.39	1,078.39	1,092.57	672.05	76.55
20	मिजोरम	27.17	303.89	303.89	331.06	250.98	32.31
21	नागालैंड	28.52	444.81	333.61	362.13	345.14	27.88
22	ओडिशा	27.77	3,323.42	2,492.56	2,520.33	1,305.79	1,288.36
23	पुदुचेरी	1.18	30.22	7.47	8.65	2.32	0.10
24	पंजाब	110.36	1,656.39	402.24	512.60	247.83	265.70
25	राजस्थान	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,919.83	1,693.61
26	सिक्किम	8.23	124.79	194.79	203.02	90.12	11.57
27	तमिलनाडु	377.58	3,691.21	614.35	991.93	457.63	496.16
28	तेलंगाना	55.15	1,653.09	एन.डी.	55.15	17.70	68.88
29	त्रिपुरा	61.51	614.09	714.09	775.60	599.82	65.13
30	उत्तर प्रदेश	454.07	10,870.50	5,435.25	5,889.32	2,728.48	2,935.18
31	उत्तराखंड	111.22	1,443.80	1,082.85	1,194.07	603.31	67.99
32	पश्चिम बंगाल	757.58	6,998.97	1,404.61	2,162.19	1,547.52	725.77
कुल		**4,825.92**	**92,308.77**	**40,009.77**	**44,835.69**	**25,325.67**	**18,226.18**

दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव और लक्षद्वीप , निधि का लाभ नहीं उठाते हैं **एन.डी.: नि**धि आरहित नहीं की गई **एनआर:** नहीं दर्शाया गया **स्रोत:** जेजेएम-आईएमआईएस

जेजेएम: वित्तीय प्रगति 2022-23

करोड़ रुपये में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय अंश					राज्य व्यय
		प्रारंभिक जमा राशि	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	दर्शायी गई उपयोग निधि	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.63	9.15	2.16	2.79	0.60	-
2	आंध्र प्रदेश	712.13	3,458.20	एन.डी.	712.13	304.71	98.38

3	अरुणाचल प्रदेश	450.59	1,116.35	1,116.35	1,566.94	1,256.17	181.27
4	असम	1,819.22	6,117.61	4,588.21	6,407.43	3,959.95	442.75
5	बिहार	54.95	4,766.90	एन.डी.	54.95	एन.आर.	66.19
6	छत्तीसगढ़	147.09	2,223.98	2,223.98	2,371.07	2,096.70	2,079.12
7	गोवा	11.95	49.98	एन.डी.	11.95	11.04	20.14
8	गुजरात	583.39	3,590.16	3,590.16	4,173.55	3,084.89	3,272.38
9	हरियाणा	158.71	1,157.44	463.00	621.71	519.77	447.46
10	हिमाचल प्रदेश	818.89	1,344.94	1,344.94	2,163.83	1,615.65	182.41
11	जम्मू और कश्मीर	605.71	3,039.11	1,439.50	2,045.21	1,141.38	153.69
12	झारखंड	199.52	2,825.52	2,119.14	2,318.66	1,789.85	1,593.00
13	कर्नाटक	1,264.11	5,451.85	2,725.93	3,990.04	2,807.73	3,240.51
14	केरल	436.08	2,206.54	2,206.54	2,642.62	1,741.93	1,741.68
15	लद्दाख	262.25	1,555.77	382.76	645.01	364.34	-
16	लक्षद्वीप	-	36.99	9.25	9.25	एन.आर.	-
17	मध्य प्रदेश	1,766.42	5,641.02	2,820.51	4,586.93	3,526.87	3,516.37
18	महाराष्ट्र	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.53	2,972.21
19	मणिपुर	142.03	512.05	256.03	398.06	233.64	26.03
20	मेघालय	420.52	747.76	1,047.00	1,467.52	1,098.48	122.85
21	मिजोरम	80.08	333.91	448.58	528.66	407.40	45.74
22	नागालैंड	17.00	484.28	484.28	501.28	481.71	52.71
23	ओडिशा	1,214.54	3,608.62	1,768.73	2,983.27	2,166.00	2,149.50
24	पुदुचेरी	6.34	17.83	एन.डी.	6.34	0.94	0.22
25	पंजाब	264.78	2,403.46	एन.डी.	264.78	264.80	210.69
26	राजस्थान	1,288.79	13,328.60	6,081.80	7,370.59	3,937.70	4,123.31
27	सिक्किम	112.90	136.17	188.92	301.82	222.53	20.63
28	तमिलनाडु	534.30	4,015.00	872.96	1,407.26	593.71	664.36
29	तेलंगाना	37.44	1,657.56	एन.डी.	37.44	11.39	13.52
30	त्रिपुरा	175.78	666.97	849.91	1,025.69	798.67	82.64
31	उत्तर प्रदेश	3,160.84	12,662.05	9,496.54	12,657.38	9,650.07	9,259.84
32	उत्तराखंड	590.75	1,612.50	1,209.38	1,800.13	1,515.93	163.93
33	पश्चिम बंगाल	614.67	6,180.25	3,090.12	3,704.79	1,953.73	3,204.21
कुल		**19,510.05**	**100,789.77**	**54,742.30**	**74,252.35**	**50,667.81**	**40,147.74**

दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव और लक्षद्वीप , निधि का लाभ नहीं उठाते हैं **एन.डी.: नि**धि आरहित नहीं की गई **एनआर:** नहीं दर्शाया गया **स्रोत:** जेजेएम-आईएमआईएस

जेजेएम: वित्तीय प्रगति 2023-24

रुपये करोड़ में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय अंश					राज्य व्यय
		प्रारंभिक जमा राशि	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	दर्शायी गई उपयोग निधि	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.20	7.52	3.76	5.96	4.67	-
2	आंध्र प्रदेश	407.42	6,530.49	793.57	1,200.99	861.11	939.08
3	अरुणाचल प्रदेश	310.77	1,057.11	771.21	1,081.98	1,056.97	137.98
4	असम	2,447.48	10,351.68	6,204.00	8,651.48	7,870.90	866.11
5	बिहार	54.95	-	एन.डी.	54.95	एन.आर.	एन.आर.
6	छत्तीसगढ़	274.38	4,485.60	2,885.56	3,159.94	2,638.91	2,627.12
7	गोवा	0.92	11.25	11.25	12.17	11.76	11.25
8	गुजरात	1,088.66	2,982.85	2,237.14	3,325.80	2,377.83	2,676.40
9	हरियाणा	101.93	1,053.44	526.72	628.65	589.79	687.56
10	हिमाचल प्रदेश	548.18	379.67	402.34	950.52	859.96	98.38
11	जम्मू और कश्मीर	903.84	9,611.31	3,267.12	4,170.96	3,510.26	364.69
12	झारखंड	528.81	4,722.76	2,875.35	3,404.16	3,140.70	3,291.53
13	कर्नाटक	1,182.31	12,623.37	4,966.62	6,148.93	5,266.74	6,106.10
14	केरल	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,465.41	1,448.53
15	लद्दाख	280.66	477.11	131.07	411.73	346.73	-
16	लक्षद्वीप	9.25	39.63	19.82	29.07	एन.आर.	-
17	मध्य प्रदेश	1,060.06	10,297.86	5,419.90	6,479.96	6,388.57	6,390.54
18	महाराष्ट्र	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,371.34
19	मणिपुर	164.42	110.54	एन.डी.	164.42	119.49	18.75
20	मेघालय	369.04	3,567.25	1,500.00	1,869.04	1,573.51	171.74
21	मिजोरम	121.27	425.46	303.10	424.37	416.52	43.77
22	नागालैंड	19.57	366.86	314.90	334.47	294.71	44.02

23	ओडिशा	817.27	2,108.54	2,108.54	2,925.81	2,441.58	2,428.36
24	पुदुचेरी	5.40	15.39	1.00	6.40	6.39	0.62
25	पंजाब	-	479.02	119.76	119.76	103.79	166.43
26	राजस्थान	3,432.89	3,019.94	250.00	3,682.89	2,898.54	3,904.64
27	सिक्किम	79.29	634.55	251.61	330.90	318.98	29.67
28	तमिलनाडु	813.55	3,615.56	2,617.10	3,430.65	2,617.49	2,612.30
29	तेलंगाना	26.06	-	एन.डी.	26.06	एन.आर.	एन.आर.
30	त्रिपुरा	227.01	1,773.40	744.18	971.19	860.09	105.25
31	उत्तर प्रदेश	3,007.30	20,884.45	16,947.00	19,954.30	19,102.47	20,285.30
32	उत्तराखंड	284.20	4,689.69	1,890.66	2,174.86	1,942.71	236.81
33	पश्चिम बंगाल	1,751.06	3,806.29	4,206.29	5,957.35	5,004.16	5,155.11
कुल		**23,584.58**	**132,936.83**	**69,885.01**	**93,469.59**	**82,299.27**	**69,219.38**

दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव का लाभ नहीं उठाते हैं **एन.डी.:** निधि आरहित नहीं की गई **एनआर:** नहीं दर्शाया गया **स्रोत:** जेजेएम-आईएमआईएस

जेजेएम: वित्तीय प्रगति 2024-25

रुपये करोड़ में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय अंश					राज्य व्यय
		प्रारंभिक जमा राशि	आवंटित निधि	निधि आहरित	उपलब्ध निधि	दर्शायी गई उपयोग निधि	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.28	2.98	0.45	1.73	0.61	-
2	आंध्र प्रदेश	339.88	2,520.97	70.00	409.88	375.65	597.87
3	अरुणाचल प्रदेश	25.02	217.82	108.91	133.93	84.14	4.85
4	असम	780.58	5,198.78	2,159.63	2,940.21	2,829.16	315.70
5	बिहार	54.95	-	एन.डी.-	54.95	एन.आर.	एन.आर.
6	छत्तीसगढ़	521.03	1,277.27	191.59	712.62	489.82	3,008.22
7	गोवा	0.40	4.32	0.65	1.05	1.05	6.89
8	गुजरात	947.97	2,420.14	59.00	1,006.97	818.84	2,697.35
9	हरियाणा	38.86	462.03	एन.डी.	38.86	23.68	264.80

10	हिमाचल प्रदेश	90.56	916.53	137.48	228.04	189.20	19.67
11	जम्मू और कश्मीर	660.69	2,112.86	693.86	1,354.55	1,341.93	135.53
12	झारखंड	263.46	2,114.22	70.00	333.46	203.56	1,097.60
13	कर्नाटक	882.20	3,804.41	570.66	1,452.86	764.14	10,078.54
14	केरल	106.45	1,949.36	974.68	1,081.13	1,081.13	1,403.70
15	लद्दाख	65.00	624.78	187.43	252.43	181.04	-
16	लक्षद्वीप	29.06	0.75	0.56	29.62	3.17	-
17	मध्य प्रदेश	91.39	4,044.70	2,622.35	2,713.74	2,683.52	10,190.95
18	महाराष्ट्र	1,599.47	5,352.93	1,605.88	3,205.35	2,235.12	3,150.59
19	मणिपुर	44.93	-	एन.डी.-	44.93	33.57	1.33
20	मेघालय	295.54	653.60	405.65	701.19	672.62	81.03
21	मिजोरम	7.85	45.09	13.52	21.37	18.95	9.62
22	नागालैंड	39.75	39.75	19.87	59.62	59.45	6.61
23	ओडिशा	484.23	2,455.94	368.39	852.62	752.12	2,835.90
24	पुदुचेरी	0.01	12.58	3.77	3.78	3.50	1.84
25	पंजाब	15.97	644.54	50.00	65.97	59.16	242.77
26	राजस्थान	784.35	11,061.46	1,659.22	2,443.57	2,212.99	3,171.90
27	सिक्किम	11.92	124.50	62.25	74.17	72.94	16.44
28	तमिलनाडु	813.15	2,438.89	731.67	1,544.82	1,333.23	3,343.47
29	तेलंगाना	26.06	-	एन.डी.-	26.06	एन.आर.	एन.आर.
30	त्रिपुरा	111.10	736.75	368.38	479.48	477.98	65.86
31	उत्तर प्रदेश	851.83	12,621.95	6,310.98	7,162.81	7,162.80	12,423.82
32	उत्तराखंड	232.15	1,016.80	568.40	800.55	671.59	90.88
33	पश्चिम बंगाल	953.19	5,049.98	2,524.99	3,478.18	3,003.06	4,905.55
कुल		**11,170.28**	**69,926.68**	**22,540.22**	**33,710.50**	**29,839.72**	**60,169.28**

दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव , निधि का लाभ नहीं उठाते हैं **एन.डी.:** निधि आरहित नहीं की गई **एनआर:** नहीं दर्शाया गया **स्रोत:** जेजेएम-आईएमआईएस